उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्याः /कौ.वि.मि./2020–21/टी.पी.पी./30% अ.पी.जी.फ्ले./2042

दिनांकः 3 जुलाई, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदाताओं व मिशन के मध्य निष्पादित अनुबंध के प्रस्तर–7 में प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के पश्चात् सफल मूल्यांकित प्रशिक्षणार्थियों के सापेक्ष आकलित कुल प्रशिक्षण लागत का 70% भुगतान दिये जाने का प्राविधान उल्लिखित है। प्रशिक्षण लागत की शेष 30% धनराशि का भुगतान प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन पर आधारित है।

2. विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाताओं, विशेषकर जिनके द्वारा दीर्घ अवधि के पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशिक्षण सत्र संचालित किये जा रहे है, द्वारा प्रशिक्षण अवधि के दौरान एवं प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन व परीक्षाफल की घोषणा में निहित अपेक्षाकृत अधिक समयावधि के दृष्टिगत आर्थिक सस्टेनेबिलिटी के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कॉमन नार्म्स दिनांक 11.11.2020 की अनुसूची–4 (निधि प्रवाह क्रियावधि) के अन्तर्गत प्रस्तर 1.1.1 में वर्णित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण लागत की 30% धनराशि प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पश्चात् अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

3. चूँकि राज्य संचालन समिति की बैठक दिनांक 29.03.2016 में लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में कॉमन नार्म्स के प्राविधान है, अतः वर्तमान में प्रचलित कॉमन नार्म्स के उक्त प्राविधानों को संज्ञान में लेते हुए उन प्रशिक्षण प्रदाताओं (निजी, फ्लैक्सी अथवा राजकीय) जिनके द्वारा 6 माह से अधिक अवधि के अनावासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है, को **बैच मोड** में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुमन्य प्रशिक्षण लागत की धनराशि का भुगतान निम्नानुसार किस्तों में किया जायेगाः–

क्र.सं.	किश्त	किस्त का % (बैच का निर्धारित प्रशिक्षण लागत के सापेक्ष)	उपलब्धि के मानक
1.	पहली	30%	40% प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात्
2.	दूसरी	40%	सफल प्रमाणन होने पर (अग्रिम भुगतानों को समायोजित करने के बाद सफल मूल्यांकित प्रशिक्षणार्थियों के सापेक्ष)
3.	तीसरी	30%	70% सत्यापित रोजगार पर (3 महीने–डेस्क का सतत रोजगार और मानक मानदंडों के अनुसार सत्यापित तैनाती के पश्चात्)

प्रशिक्षण प्रदाताओं को अनुमन्य प्रशिक्षण लागत का उपर्युक्तानुसार चरणबद्ध भुगतान मात्र उन्हीं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संदर्भ में प्रभावी होगा, जिनकी अवधि 06 माह से अधिक है। उक्त अवधि से कम अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संदर्भ में अनुबंध के प्रस्तर–7 में वर्णित प्राविधान

अपरिवर्तित माने जायेंगें और इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं को निर्धारित मानकों व प्रतिबंधों के अधीन प्रशिक्षण लागत की सम्पूर्ण देय 70% धनराशि प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् सफल मूल्यांकित प्रशिक्षणार्थियों के सापेक्ष अवमुक्त की जायेगी।

प्रशिक्षण प्रदाताओं तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मध्य निष्पादित अनुबंध उपयुक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

उक्त आदेश सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किये जा रहे है और तत्काल प्रभावी होंगें।

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

संख्याः 592 **/कौ.वि.मि./2020–21/टी.पी.पी./30% अ.पी.जी.फ्ले./2042 तद्दिनांकित।**
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
6. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
7. समस्त प्रशिक्षण प्रदाता, आबद्ध उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
8. प्रबन्धक, (आईटी) को पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
9. कार्यालयादेश पंजिका।
10. गार्ड फाइल।

3/7/21
(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक